संख्या– /XXIV(7)/2018–3(2)17

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7

देहरादून दिनांक 05 जनवरी, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम अनुपूरक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री बजट/13006/2017–18, दिनांक 01.01.2018 एवं वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम अनुपूरक के माध्यम से अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष की वचनबद्ध मदों में प्राप्त रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं पर नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किये जाने का दायित्व विभाग का होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा, धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।

(5) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

क्रमशः 2/

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय –व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–उच्च शिक्षा निदेशालय–03–मंहगाई भत्ता मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 970 (1)/XXIV(7)/2018–3(2)17 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3– जिलाधिकारी, नैनीताल।
4– कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
5– वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
7– निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय उत्तराखण्ड।
8– गाई फाईल।

आज्ञा से,

(बी0डी0 बेलवाल)
उप सचिव।